कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250 दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-156/2023 दिनांक-08.05.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

शातिर गांजा तस्कर 20 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण-

नगर निकाय चुनाव-2023 के मद्देनजर अवैध शस्त्र,अवैध गांजा व शराब की रोकथाम तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के लिए पुलिस द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.05.23 को थानाध्यक्ष तरवां बसन्त लाल मय हमराह द्वारा एक नफर अभियुक्त 1.सूर्यभान मौर्य उर्फ मुलायम मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी ग्राम जमुवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को नोनी नदी बहद ग्राम तितिरा पुलिया पर से समय 01.15 बजे भोर में गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0112/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सूर्यभान मौर्य उर्फ मुलायम मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी ग्राम जमुवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा पूछने पर बताया गया कि मेरे द्वारा असम राज्य से डीसीएम से गाजा मंगवाया जाता है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि चूँकि जनपद आजमगढ़ में कानून व्यवस्था सख्त होने के कारण मैं गांजे की बिक्री जनपद आजमगढ़ में न करके जनपद गाजीपुर व मऊ में अपने जान-पहचान वाले चिन्हित दुकानों पर करता हूँ। अभियुक्त से और कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि दि0 11.04.23 को दो डीसीएम से मेरा माल (गांजा) असम राज्य से आ रहा था कि निजामाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा डीसीएम को मय चालक व डीसीएम मे रखे 5 काले रंग के बक्शो में से 06-06 पैकेट अवैध गाजा कुल 309 किग्रा पकड़ लिया गया था, जहाँ से मैं मौके से हट गया था। मेरा नाम भी पकडे गये चालकों द्वारा पुलिस को बताया गया था उसी समय से पुलिस से बचने के लिये लुक छिपकर रह रहा था। आज मेरे द्वारा मेरे पास मौजूद (बरामद गांजा) को घर से बेचने के मकसद से अपनी दुकान बहरियाबाद गाजीपुर जाया जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। इस अवैध कार्य मैं विगत 10 वर्षों से लिप्त हूँ।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 112/2023 धारा -8/20 NDPS Act थाना तरवा आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	112/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट	तरवां	आजमगढ़
2	159/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूर्यभान मौर्य उर्फ मुलायम मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी ग्राम जमुवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी-

20 किलो 200 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष बसन्त लाल ,उ0नि0 सौरव त्रिपाठी मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट/ट्रैफिक एडवाईजरी

यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़

जनपद में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव -2023 पोलिंग पार्टी रवानगी, मतदान व मतगणना के दृष्टिगत जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने व यातायात को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु दिनांक-10.05.2023, 11.05.2023 व 13.05.2023 को समय प्रातः 06.00 बजे से सांय 18.00 बजे तक निम्नानुसार रुट डायवर्जन किया गया है। विवरण निम्नवत है।

नगर निकाय चुनाव-पोलिंग पार्टी रवाना/मतदान/मतगणना के दृष्टिगत रूट प्लान/ डायवर्जन जनपद आजमगढ़

तहसील - सदर

1.हर्रा की चुंगी तिराहा ,कोट चौराहा से डी0ए0वी0 कालेज की तरफ आने वाले समस्त प्रकार के वाहन काली चौरा तिराहा से एलवल चौकी मार्ग होते हुए अपने गंतव्य को जायेगें।

2.शारदा तिराहा से डी0ए0वी0 कालेज की तरफ आने वाले समस्त प्रकार वाहन रैदोपुर चौराहा से सिविल लाइन मार्ग से अपने गंतव्य को जायेगें।

3.अग्रसेन तिराहा से काली चौरा तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन को गाँधी तिराहा से रैदोपुर की तरफ डायवर्ट किया जायेगा।

4.बड़ादेव तिराहा से काली चौरा तिराहा की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

तहसील - सगड़ी

1.गोरखपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले वाहन भारी वाहन (बस,ट्रक, डीसीएम आदि) मुबारकपुर मोड़ थानान्तर्गत जीयनपुर से सठियांव चौराहा होकर अपने गंतव्य को जायेगें।

2.आजमगढ़ से गोरखपुर मार्ग को जाने वाले वाहन भारी वाहन (बस,ट्रक डीसीएम आदि) हाफिजपुर न जाकर नरौली तिराहा, हाइड्रिल चौराहा, बैठौली तिराहा से सठियांव चौराहा होकर अपने गंतव्य को जायेगें।

तहसील - निजामाबाद

1.जौनपुर - शाहगंज मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले भारी वाहन (बस,ट्रक डीसीएम आदि) फरिहा तिराहा से रानी के सराय होकर अपने गन्तब्य स्थान को जायेंगे।

2.मंदुरी तिराहा से निजामाबाद की तरफ से जाने वाले भारी वाहन (बस,ट्रक डीसीएम आदि) मंदूरी से भँवरनाथ चौराहा आकर अपने गन्तब्य को जायेंगे।

तहसील - मेंहनगर

1.पल्हना से मेंहनगर तहसील की तरफ जाने वाले भारी वाहन (बस,ट्रक डीसीएम आदि) पल्हना से ही लालगंज (मसीरपुर मोड़) से फोर लेन होकर अपने गन्तब्य तक जायेंगे।

2.मेंहनगर से तहसील की तरफ जाने वाले वाहन मेंहनगर से खरिहानी होते हुए गन्तब्य को जायेंगे।

तहसील - लालगंज

1.भीरा तिराहे से लालगंज कस्बा की तरफ जाने वाले वाहन फोर लेन होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।

2. आजमगढ़ से वाराणसी की तरफ जाने वाले वाहन लालगंज कस्बा की तरफ न जाकर सीधे फोर लेन से ही अपने गंतव्य को जायेंगे।

तहसील - फूलपुर

1.जौनपुर-शाहगंज मार्ग से आजमगढ़ की तरफ आने वाले समस्त प्रकार के वाहन अमबारी चौराहे से माहुल होकर अपने गंतव्य को जायेगें तथा आजमगढ़ से जौनपुर - शाहगंज को जाने वाले वाहन उसी मार्ग से अपने अपने गंतव्य को जायेगें।

नोटः-उक्त रुट प्लान/डायवर्जन का अनुपालन पोलिंग पार्टी रवाना/मतदान/मतगणना के दिन क्रमशः दिनांक-10.05.2023, 11.05.2023 व 13.05.2023 को समय प्रातः 06.00 बजे से सायं 18.00 बजे तक किया जायेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष अपने-अपने थानान्तर्गत रुट डायवर्जन स्थल पर अपने-अपने थाना से पर्याप्त पुलिस बल लगाकर डायवर्जन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रेस-विज्ञप्ति

नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने किया बूथों का निरीक्षण

आज दिनांक- 08.05.2023 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव- 2023 के दृष्टिगत थाना देवगांव के प्राथमिक विद्यालय टीकरगढ़ पर बने बूथों व मतपेटिका रखने के लिए सुनिश्चित किये गये कमरों का निरीक्षण किया गया व लालगंज तहसील के अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात तहसील मार्टिनगंज अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया व थाना दीदारगंज क्षेत्र के कन्या प्राथमिक पाठशाला पर बने बूथ का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि अराजकतत्वों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

थाना- फूलपुर

चेकिंग के दौरान 15 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार; मांस काटने वाले उपकरण व एक टेम्पो वाहन बरामद।

आज दिनांक 07.05.2023 को उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि सुदनीपुर मोड़ पर बजाज मैक्सिमा थ्री व्हीलर टैम्पो के अन्दर गोमांश रखकर दो व्यक्ति टैम्पो के पास खड़े होकर गोमांश खरीद फरोक्त हेतु आपस मे बात कर रहे है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर सुदनीपुर मोड़ पर ही दोनो को पकड़ लिया गया। पकडे गये दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम क्रमशः 1. अब्दुल्लाह पुत्र अनीश साकिन अम्बारी का फाटक थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष 2.अनीश पुत्र रोजन अली निवासी नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष बताया। अभियुक्तों के कब्जे से रूपया 1460 नकदी , एक अदद नाजायज चाकू लोहे का व निशादेही पर टैम्पो में प्लास्टिक की बोरी मे रखा 15 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद पकड़े गये दोनो व्यक्तियो को उनके द्वारा किये गये कार्य जुर्म धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व अभियुक्त अब्दुल्लाह पुत्र अनीश को जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 22.05 बजे सुदनीपुर मोड़ से हिरासत पुलिस तथा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 **182/23 धारा** 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 183/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-अब्दुल्लाह पुत्र अनीश साकिन अम्बारी का फाटक थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 **182/23 धारा** 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 183/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

2-अनीश पुत्र रोजन अली निवासी नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 **182/23 धारा** 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बरामदगी-

एक अदद नाजायज चाकू लोहे का, थ्री व्हीलर टैम्पो में प्लास्टिक की बोरी मे रखा 15 किलो प्रतिबंधित मांस व बिक्री का 1460 रुपया

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय का0 शिवम वर्मा का0 विनोद कुमार यादव थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ।